स्मरण पत्र–द्वितीय

राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।

तत्काल

क्रमांकः– एफ2(3)लागत / 1037 (iv)/32 दिनांक :-07/06/2023

विषयः– मण्ड़ल की समस्त योजनाओं हेतु वर्ष 2023–24 की विकसित भूमि दर निर्धारित करने हेतु वांछित सूचनायें उपलब्ध कराने बाबत्।

मण्ड़ल की समस्त योजनाओं हेतु वर्ष 2023–24 की विकसित भूमि दर निर्धारित करने हेतु, पत्र संख्या एफ2(3)लागत / 1037 (iv)/14 दिनांक 12.05.2023 एवं स्मरण पत्र क्रमांक एफ2(3)लागत / 1037 (iv)/24 दिनांक 29.05.2023 के द्वारा अपेक्षित सूचनायें 07 दिवस में आवश्यक रूप से प्रेषित करने हेतु निर्देशित किया गया था, किन्तु अभी तक आपके कार्यालय से वांछित सूचनायें प्राप्त नही हुई हैं।

वर्ष 2022–23 के लिए मण्ड़ल की योजनाओं की विकसित भूमि दर की वैधता अवधि, दिनांक 30.06.2023 को समाप्त हो रही है उक्त सूचनाओं के अभाव के कारण संशोधित विकसित भूमि दर निर्धारित किया जाना संभव नहीं हो रहा है। मण्डल की समस्त आवासीय, वाणिज्यिक एवं संस्थानिक सम्पत्तियों की लागत की वैधता अवधि 30.06.2023 को समाप्त होने के उपरान्त मण्डल की सभी प्रकार की सम्पत्तियों का निस्तारण संभव नहीं हो सकेगा। संदर्भित पत्र द्वारा चाही गई सूचनायें दिनांक 15.06.2023 तक आवश्यक रूप से प्रेषित करावे, ताकि प्राप्त दस्तावेजों की जांच कर आगामी वर्ष 2023–24 की विकसित भूमि दर निर्धारित की जा सके। इसके पश्चात् प्राप्त प्रस्तावों पर विचार नही किया जा सकेगा।

वांछित सूचना यथा समय उचित माध्यम से प्राप्त न होने पर देरी के लिए सम्बन्धित अधिकारी स्वयं जिम्मेदार होंगे।

उप वित्तीय सलाहकार

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1– निजी सचिव–अध्यक्ष / आवासन आयुक्त / वित्तीय सलाहकार, रा.आ.म., जयपुर।
2– मुख्य अभियन्ता-I/II/मु0) / सचिव, रा.आ.म., जयपुर।
3– अति.मु.अभियन्ता, ..., रा.आ.म., जयपुर / जोधपुर।
4– उप आवासन आयुक्त, वृत्त– ...., रा.आ.म., ...।
5– संयुक्त एनालिस्ट (निदेशक), कम्प्यूटर प्रकोष्ठ, राजस्थान आवासन मण्ड़ल, जयपुर।
6– आवासीय अभियन्ता, खण्ड– ...., रा.आ.म., ...।
7– सहायक लेखाधिकारी–प्रथम, वृत्त– ...., रा.आ.म., ...।
8– सम्बन्धित पत्रावली।
9– रक्षित पत्रावली।

उप वित्तीय सलाहकार

Office Order Hindi/Hanuman Sahay/Costing